न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या:—157 / 2022

प्रार्थी:—

साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति माली निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. जोगा पुत्र नरसा जाति माली निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री किशोरीलाल सोनी
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—13.08.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 654 व 654/827, 655, 655/828, 658/829, 856/656 व 889/652 रकबा क्रमशः 0.1052, 0.3482, 02.4038, 01.8534, 01.3355, 01.3759, 01.4812 हैक्टेयर ग्राम धारणा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र, व ग्राम पंचायत धारणाः द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम के स्थान पर धना पुत्र नरसा व सांकलचन्द पुत्र नरसिंग लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ./PGKS/2023/15 दिनांक 01.05.2023 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र, व ग्राम पंचायत धारणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम धना पुत्र नरसा व सांकलचन्द पुत्र नरसिंग लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र, व ग्राम पंचायत धारणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम साकलाराम पुत्र नरसिंगाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धारणा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 654 व 654/827, 655, 655/828, 658/829, 856/656 व 889/652 रकबा क्रमशः 0.1052, 0.3482, 02.4038, 01.8534, 01.3355, 01.3759, 01.4812 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'धना पुत्र नरसा के स्थान पर साकलाराम उर्फ धना पुत्र नरसिंगाराम उर्फ नरसा व सांकलचन्द पुत्र नरसिंग' के स्थान पर 'साकलाराम उर्फ सांकलचन्द पुत्र नरसिंगाराम उर्फ नरसिंग' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को खुले इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)